ई० मेल

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
(गौतमबुद्धनगर,बदायू,जालौन,बांदा,कौशाम्बी,कानपुरदेहात व हरदोई को छोड़कर)

पत्रांक :: 614 /वि0का0/2007–08 लखनऊ :: दिनांक :: 25 फरवरी,–2008

विषय वित्तीय वर्ष 2007–2008 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत एस0सी0एस0पी0 मद में राज्यांश की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग के शासनादेश सं0–82/26–ब0प्र0–2008–38 एसजीएसवाई–टीसी–9 दिनांक 12 फरवरी,–2008 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में एस0सी0एस0पी0 मद हेतु **अनुदान संख्या–83 में रू0 1939.03 लाख (रूपये उन्नीस करोड़ उन्तालिस लाख तीन हजार मात्र)** की धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखी गयी है।

2. योजनान्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत उक्त धनराशि **रू0 1939.03 लाख (रूपये उन्नीस करोड़ उन्तालिस लाख तीन हजार मात्र)** संलग्न विवरण के कालम 3 के अनुसार आपको इस प्रतिबन्ध के साथ आबंटित की जा रही है कि धनराशि का आहरण भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा। जब तक भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होता है तब तक उक्त धनराशि आपके निस्तारण पर रहेगी तथा कोषागार से आहरित कदापि नहीं की जायेगी।

3. बजट प्राविधान की धनराशि में से वांछित धनराशि हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर मॉग की गयी धनराशि मुख्य विकास अधिकारी को आबंटित की जायेगी। राज्यांश का आबंटन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग अंश की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय एवं धनराशि का व्यय एस0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जाये। धनराशि के आहरण एवं वितरण के लिए सम्बन्धित जिलों के आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है तो उसकी सूचना आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं उ0प्र0 शासन को भेजी जाय।

4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–" 2501–ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनागत –800–अन्य व्यय–03–स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (केन्द्रांश 75 प्रतिशत/राज्यांश 25 प्रतिशत–राज्यांश)–(जिला योजना) 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता" के नामे डाला जायेगा।

5. योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में एस0सी0एस0पी0 मद में आपके जनपद को पूर्व में आबंटित की गयी धनराशि को जोड़ते हुये अब तक आबंटित की गयी धनराशि का प्रगामी योग संलग्न विवरण के कालम–4 में दर्शाया गया है।

6. जारी किये गये आदेशों की प्रतियाँ भारत सरकार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद,, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, ग्राम्य विकास अनुभाग 6 एवं समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), तथा इस कार्यालय एवं अन्य सम्बन्धित को पृष्ठांकित की जाय।

7. केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया किया जाना सुनिश्चित किया जाय जिससे भारत सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि की कटौती न की जा सके। उपयोगिता प्रमाण पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8. वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि का 31 मार्च--2008 से पूर्व इस कार्यालय में समर्पण कर दिया जाय, जिससे 31 मार्च--2008 को अप्रयुक्त अवशेष धनराशि शासन को समर्पित की जा सके।

9. यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजनान्तर्गत निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

10. धनराशि के कोषागार से आहरण की सूचना प्रत्येक माह की 05 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक रूप से इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11. संलग्न शासनादेश सं0 82/26- ब0प्र0-2008-38 एसजीएसवाई/06 टीसी-9 दिनांक 12 फरवरी, 2003 में उल्लिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

12. उक्त आबटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर (आयोजनागत) के पृष्ठ सं0...133... पर अंकित कर दी गई है।

भवदीय,

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

Manoj 22.2.08

(मनोज कुमार सिंह)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश

पत्रांक :: 614 /वि0का0/2007--08 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय व्ययक) अनुभाग-2।
9. राज्य योजना आयोग-1/2 उ0प्र0 शासन।
10. विशेष सचिव ग्राम्य विकास अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
11. विशेष सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग-6।
12. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
13. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. निदेशक (एस0जी0एस0वाई0), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई -दिल्ली।
15. संयुक्त सचिव, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र सं0-82/26--ब0प्र0--2008 --38 एसजीएसवाई-टीसी-9 दिनांक 12 फरवरी 2008 के सन्दर्भ में।

(अवधेश कुमार)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

Letters for release

ANNEXURE OF LETTER NO- 614 /VKA/2008 DATED :: 25 FEB, 2008
STATE SHARE BEING RELEASED UNDER SGSY DURING THE YEAR 2007-08
(SCSP) (Rs. In Lakh)

SL	District	State Share Being Released	Progressive Total
1	2	3	4
1	MEERUT	4.76	9.79
2	GHAZIABAD	5.26	10.52
3	BULANDSHAHAR	10.54	21.84
4	BAGPAT	2.92	5.84
5	SAHARANPUR	21.82	44.83
6	MUZZAFARNAGAR	14.53	29.06
7	MORADABAD	19.15	38.30
8	BIJNOR	27.75	56.56
9	RAMPUR	18.43	36.86
10	JYOTIBAFULEY NAGAR	13.40	26.80
11	BAREILLY	38.39	76.78
12	SHAHJAHANPUR	48.18	96.35
13	PILIBHIT	26.57	53.15
14	AGRA	18.70	37.40
15	ALIGARH	14.64	29.28
16	MAINPURI	31.97	63.96
17	ETAH	25.65	51.54
18	MATHURA	10.93	21.98
19	FIROZABAD	9.66	19.32
20	HATHRAS	8.91	18.27
21	JHANSI	8.06	26.67
22	LALITPUR	14.30	28.60
23	HAMIRPUR	20.59	41.53
24	MAHOBA	8.99	18.17
25	CHITRAKOOT	17.89	35.78
26	ALLAHABAD	21.71	94.70
27	FATEHPUR	19.40	57.59
28	KANPUR NAGAR	30.75	61.99
29	ETAWAH	24.25	48.50
30	FURRUKHABAD	24.06	48.44
31	KANNAUJ	18.22	36.44
32	ORRIYA	14.43	41.27
33	VARANSI	22.50	45.00
34	GHAZIPUR	55.61	111.23

subsidy

ANNEXURE OF LETTER NO- 614 /VKA/2008 DATED :: 25 FEB, 2008
STATE SHARE BEING RELEASED UNDER SGSY DURING THE YEAR 2007-08
(SCSP) (Rs. In Lakh)

SL	District	State Share Being Released	Progressive Total
1	2	3	4
35	JAUNPUR	50.71	108.22
36	CHANDAULI	11.14	41.07
37	MIRZAPUR	44.00	98.92
38	SONBHADRA	58.60	117.21
39	SANT R. NAGAR	11.04	23.34
40	LUCKNOW	34.85	69.71
41	SITAPUR	58.56	148.29
42	UNNAO	4.74	83.19
43	LAKHIMPUR KHERI	83.96	167.43
44	GORAKHPUR	45.02	99.69
45	DEORIA	35.90	71.81
46	KUSHINAGAR	70.14	140.47
47	MAHRAJGANJ	27.98	55.97
48	BASTI	43.51	87.03
49	SIDHARTHA NAGAR	37.31	74.62
50	SANT KABIR NAGAR	34.88	69.76
51	AZAMGARH	51.39	102.78
52	MAUNATH BHANJAN	26.60	57.28
53	BARABANKI	79.78	159.59
54	SULTANPUR	64.91	141.90
55	AMBEDKAR NAGAR	32.19	80.09
56	BAHRAICH	82.58	164.66
57	GONDA	52.88	110.96
58	SHRAVASTI	23.27	46.04
59	BALRAMPUR	24.45	48.40
60	BALLIA	23.93	73.71
61	FAIZABAD	35.10	71.03
62	PRATAPGRAH	34.28	100.79
63	RAEBAREILY	82.41	165.11
	State Total	1939.03	4223.41

(रू० उन्नीस करोड़ उन्तालिस लाख तीन हजार मात्र)

(अवधेश कुमार)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

subsidy

Hsthai

(5)- यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एस0जी0एस0वाई0/डी0आर0डी0ए0 योजना हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

(6)- अवमुक्त की जा रही धनराशि रू0 1939.03 लाख (रू0 उन्नीस करोड़ उन्तालिस लाख तीन हजार मात्र), में से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि जनपदों को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे जिलाधिकारी स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश अवमुक्त कर सके । धनराशि का आहरण जनपदों द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमा के भीतर ही किया जायेगा।

(7)- केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिससे भारत सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि की कटौती न की जा सके। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि 31 मार्च, 2008 को समर्पित कर दी जायेगी ।

(8)- आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2761/दस-2007-247/2007 दिनांक 30.7.2007 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि लेखाशीर्षक-"2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (केन्द्रांश 75 प्रतिशत/राज्यांश 25 प्रतिशत-राज्यांश) (जिला योजना)-20- सहायक अनुदान/ अंशदान/राज्य सहायता" के नामे डाला जायेगा ।

4- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-251/दस-2008 दिनांक 08 फरवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(राम गणेश)
संयुक्त सचिव ।

संख्या- 82 (1)/26-ग्रा0वि0-2008-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम विकास, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7- राज्य योजना आयोग-1/2, नियोजन अनुभाग-3
8- कम्प्यूटर/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

(आर0डी0 कल्याण)
अनु सचिव ।